# HRAAM VISUSION Che Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2005/वैशाख 1, 1927

No. 167]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2005/VAISAKHA 1, 1927

## विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 243( अ ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या करने से जिनका लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियम, 2005 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- परिभाषाएं इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "अधिकरण" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जिसके अंतर्गत इसके सभी अधीनस्थ कार्यालय है, अभिप्रेत है ;
- (ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;
- (ग) "नियंत्रण अधिकारी" से भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय अभिप्रेत है ;
- (घ) "विभागीय प्रोन्नित समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जो किसी श्रेणी में प्रोन्नित और पुष्टि से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई हो ;
- (ड) "कर्तव्य पद" से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है ;

1276 GI/2005

- (च) "परीक्षा" से भिन्न-भिन्न कर्त्तव्य पदों पर भर्ती के लिए जो समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । आयोग द्वारा ली गई सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है ;
- (छ) " सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
- (ज) "श्रेणी" से सेवा की गई कोई श्रेणी (ग्रेड) अभिप्रेत है ;
- (झ) किसी भी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में दीर्घकालीन नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और इसकें अंतर्गत ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं :-
- i) जो सेवा के आरंभिक गठन पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएंगी ;
- ii) जिनके दौरान कोई अधिकारी उस पद को धज्ञरण करता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या ऐसे पद को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता ;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (टं) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनके हैं ;
- (ठ) "अन्य पिछड़े वर्ग" वे होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएं ।
- (ड) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा अभिप्रेत है।
- केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा का गठन : (1) इन नियमों के प्रारंभ पर, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा के नाम से एक सेवा गठित की जाएगी जिसमें नियम
   7 और 8 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति होंगे ।
- (2) सेवा में सम्मिलित सभी कर्त्तव्य पद समूह 'क' पद रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे ।

- 4. श्रेणी, सदस्य संख्या और उसका पुनर्विलोकन (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख कि विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्त्तव्य पर, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार -
- (क) समय-समय पर, विभिन्न श्रेणियों में कर्त्तव्य पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या परिवर्तन कर सकेगी ;
- (ख) आयोग के परामर्श से, अनुसूची 1 में सम्मिलित किए गए पदों से भिन्न कोई पद सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित कोई पद सेवा से आशयित कर सकेगी।
- (ग) आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी की, किसी कर्त्तव्य पर पद जो खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, सेवा की समुचित श्रेणी में अस्थायी हैसियत में या अधिष्ठायी हैसियत में, जो उचित समझी जाए, नियुक्त कर सकेगी और सदृश श्रेणी में उसकी निरंतर सेवा हिसाब में लेने के पश्चात् उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।
- सेवा के सदस्य (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :
- (क) नियम 6 के अधीन कर्त्तव्य पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ;
- (ख) नियम 7 के अधीन कर्त्तव्य पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ; और
- (ग) नियम 8 के अधीन कर्त्तव्य पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ।
- (2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।
- (3) उपनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से, अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।
- 6. सेवा का आरंभिक गठन :- (1) इन नियमों की प्रारंभ की तारीख पर केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा में नियमित आधार पर समूह 'क' कर्त्तव्य पद धारण कर रहें सभी विद्यमान अधिकारी, अपनी-अपनी श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे ।

- (2) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित लगातार सेवा को, सेवा में प्रोन्नित, प्रोन्नित के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि के मामूलों में और पेंशन के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा ।
- (3) उस सीमा तक जिस तक कि नियत्रंण प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में समर्थ नहीं हैं उन्हें नियम 7 और 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।
- 7. सेवा का भविष्य में बनाए रखा जाना (1) नियम 6 में प्रारंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्त कर्त्तव्य पद को इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरा जाएगा ।
- (2) सेवा में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धित, प्रोन्नित का क्षेत्र और प्रितिनियुक्ति पर चयन का क्षेत्र (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) वह होगा जो अनुसूची (2) में विनिर्दिष्ट हैं :

परंतु सेवा में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों प्र भर्ती सरकार द्वारा आयोग के प्रशमर्श से नियम (8) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त अन्य अर्हित व्यक्तियों को यदाकदा सम्मिलित करके की जा सकेगी।

(3) सेवा की विभिन्न कृत्यकारी श्रेणियों में प्रोन्नतियों के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची 3 के भाग 1 और अनुसूची (4) के उपबंधों के अनुसार विभागीय प्रोन्नित समितियों की सिफारिश पर चयन द्वारा किया जाएगा :

परंतु सेवा के ज्येष्ठकालिक वेतन में (अकृत्यकारी) कर्त्तव्य पदों पर नियुक्ति अनुसूची 3 के भाग ख के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के अनुसार की जाएगी।

(4) इन सेवा नियमों के किसी उपबंध में संशोधन की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थितियां अनुसूची 4 के अनुसार होंगी ।

- 8. विज्ञापन द्वारा भर्ती अनुसूची 2 में विहित भर्ती की पद्धित के होते हुए भी, जहां सरकार आयोग के परामर्श से यह विनिश्चय करती है कि सेवा में किसी कर्त्तव्य पद को भरे जाने के लिए कितपय विशेष अर्हताएं और अनुभव अपेक्षित है तो ऐसा पद विज्ञापन द्वारा और प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से नियुक्ति के लिए आयु सीमा, अर्हताओं और अनुभव का विनिश्चय करने के पश्चात् आयोग के माध्यम से चयन द्वारा भरा जाएगा ।
- 9. ज्येष्ठता (1) नियम 6 के अधीन प्रारंभिक गठन के समय किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता वह होगी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को थी :

परंतु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो वह होगी जो इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व सेवा के सदस्यों को यथालागू ज्येष्ठता नियतन का विनियमन करने वाले नियमों के आधार पर अवधारित की जाए ।

- (2) प्रारंभिक गठन के बाद सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्टता सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
- (3) ऐसे मामलों की दशा में जो उपनियम (1) और (2) के अंतर्गत नहीं आते, सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से ज्येष्ठता अवधारित की जाएगी ।
- 10. परीविक्षा (1) सेवा के किनष्ठ काल-वेतनमान की किसी श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा प्रोन्नित द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि तक परीविक्षा पर रहेगा । सेवा की ज्येष्ठ काल-वेतनमान की श्रेणी, किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि तक परीविक्षा पर रहेगा :

परंतु नियंत्रण प्राधिकारी परीविक्षा की अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तारण के लिए कोई भी विनिश्चय सामांन्यतः पूर्व की परीविक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लेना होगा और लिखित में संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के लिए कारणों के साथ उक्त अवधि के भीतर संसूचित करना होगा।

1276 GI/05-2

- (2) परीविक्षा अवधि या उसके किसी विस्तारण के पूरा होने पर अधिकारियों के संबंध में सरकार के विस्तारण आदेशों के निबंधनों के अनुसार पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा ।
- (3) यदि, यथास्थिति, परीविक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान सरकार की यह राय है कि अधिकारी पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को, यथास्थिति, सेवामुक्त कर सकेगी या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी।
- (4) परीविक्षा अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान अभ्यर्थियों से सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसी शर्तों पर जो सरकार विहित करे, ऐसे प्रशिक्षण पाठयक्रम या अनुदेश पूरा करें और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण (हिन्दी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करें जिन्हें सरकार ठीक समझे ।
- (5) परीविक्षा से संबंधित अन्य विषयों के बारे में सेवा के विषय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।
- 11. तैनाती सेवा में नियुक्त अधिकारी, भारत में या भारत के बाहर, कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे ।
- 12. प्रतिनियुक्ति (1) नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी सेवा में या सेवा में काडर के कर्त्तव्य पद पर नियुक्त अधिकारी किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य केन्द्रीय सेवा या संघ राज्य क्षेत्र की सेवा या विदेश सेवा में किसी निकाय में, चाहे निगमित हो या न हो जो पूर्णतः या सारभूत रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, समय-समय पर लागू सरकारी निदेशों/आदेशों के अधीन रहते हुए सामान्यतः एक समय में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जहां आवश्यक समझा जाए, उसे दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर भेजे जाने के दायित्वाधीन होंगे :

परंतु इस उपनियम की कोई बात ऐसे अधिकारियों को लागू नहीं होगी जो किसी राज्य सरकार या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम या किसी अर्धसरकारी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर सेवा में नियुक्त किए जाते ।

(2) उस अवधि के दौरान जिसमें वे इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा पर हैं, अधिकारियों की सेवा शर्तें ऐसे आदेशों द्वारा शासित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं :

परंतु ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा से ठीक पहले लागू सेवा की शर्ते उस अवधि के दौरान जिसमें वे प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में हैं, उनके अलाभकर रूप में परिवर्तित ' नहीं की जाएंगी। 13. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14. रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने का दायित्व - सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिए जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में व्यतित की गई अवधि, यदि कोई है, भी है, सेवा करने के लिए दायी होगा :

परंत् ऐसे व्यक्ति से -

- (क) सेवा में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
- (ख) यथापूर्वोक्त सेवा करने की सामान्यतया अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हैं।

## 15. निरर्हता : वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुझेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

16. ऐसे विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्ते वही होंगी जो अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा (समूह क) के अधिकारियों को समय-समय पर लागू हैं।

## 17. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

18. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

\_\_ (फा.सं. ए-12018/4/97-प्रशा.1)-

अनुसूची 1 [ नियम 2(ड),4(1), 4(2)(ख), 5(2), 5(3) और 7(1) देखिए] केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों के नाम,

|             |  | संख्या और वेतनमान ।   |                             |                   |
|-------------|--|---|-----------------------------|-------------------|
| क्रम<br>सं. | श्रेणी                                   | श्रेणी में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों के नाम   | कर्त्तव्य पदों<br>की संख्या | वेतनमान           |
| (1)         | (2)                                      | (3)   | (4)                         | (5)               |
| 1.          | ज्येष्ठ प्रशासनिक<br>श्रेणी              | मुख्य इंजीनियर/सदस्य सचिव (क्षेत्रीय विद्युत<br>बोर्ड) /सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड   | 32                          | 18400-500-22400₹. |
| 2,          | कनिष्ठ प्रशासनिक<br>श्रेणी               | निदेशक(इंजीनियरी)/ अधीक्षण इंजीनियर/<br>सिस्टम इंजीनियर   | 100                         | 14300-400-18300₹. |
| 3.          | ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान<br>(गैरकृत्यकारी) | उपनिदेशक (इंजीनियरी)/ कार्यपालक<br>इंजीनियर/ सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत<br>बोर्ड/ सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/ पर्ट<br>विशेषज्ञ/ ज्येष्ठ डाटा विशेषज्ञ/ उपनिदेशक<br>(संपादक)/उप सिस्टम इंजीनियर<br>(गैरकृत्यकारी) | @                           | 12000-375-16500₹. |
| 4.          | ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान                   | उपनिदेशक (इंजीनियरी)/ कार्यपालक<br>इंजीनियर / सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत<br>बोर्ड/ सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड / पर्ट<br>विशेषज्ञ/ ज्येष्ठ डाटा विशेषज्ञ/ उपनिदेशक<br>(संपादक)/ उप सिस्टम इंजीनियर                | 211                         | 10000-325-15200₹  |
| 5.          | कनिष्ठ काल<br>वेतनमान                    | सहायक निदेशक (इंजीनियरी)(श्रेणी-1)/<br>सहायक कार्यपालक इंजीनियर/ कनिष्ठ डाटा<br>विशेषज्ञ/ सहायक सिस्टम इंजीनियर   | 158                         | 8000-275-13500₹.  |

टिप्पण 1 : इस अनुसूची की किसी विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित पद एक-दूसरे के साथ अंतर-परिवर्तनीय है ।

टिप्पण 2 : क्रम सं. 5 के सामने उपदर्शित पदों की संख्या में प्रतिनियुक्ति/छुट्टी/ प्रशिक्षण आरक्षित पदों के रूप में रेखे गए 120 (एक सौ बीस) पद सम्मिलित हैं ।

@ ज्येष्ठ काल वेतनमान (गैरकृत्यकारी) पदों की संख्या ज्येष्ठ कर्त्तव्य पदों अर्थात् ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर के पदों और उस श्रेणी में पदों का तीस प्रतिशत हो और जो ज्येष्ठ काल वेतनमान में पदों की संख्या तक सीमित होगी । तथापि श्रेणी की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

# अनुसूची 2 ( नियम 7(2) और 8 देखिए)

भाग - क

केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धित, प्रोन्नित का क्षेत्र और प्रतिनियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) चयन का क्षेत्र ।

| क्रम<br>सं. | श्रेणी                         | भर्ती की पद्धति   | प्रोन्नति का क्षेत्र   | प्रतिनियुक्ति के लिए (जिसके<br>अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी<br>है) चयन का क्षेत्र  |
|-------------|--------------------------------|---|--|---|
| (1)         | (2)                            | (3)   | (4)  | (5)   |
| 1.          | ज्येष्ठ<br>प्रशासनिक<br>श्रेणी | प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो<br>सकने पर प्रतिनियुक्ति<br>द्वारा (जिसके अंतर्गत<br>अल्पकालिक संविदा भी<br>है) | ऐसा निदेशक (इंजीनियरी)/ अधीक्षण इंजीनियर/ सिस्टम इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास तीन वर्ष का क्षेत्र-अनुभव या सेवा की किसी श्रेणी में अन्वेषण का तीन वर्ष का अनुभव हो : परंतु 21 अगस्त, 1990 (अर्थात् अब अधिक्रांत किए गए केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम, 1990 की अधिसूचना की तारीख) से पूर्व सेवा में नियुक्त सेवा के सदस्यों के लिए क्षेत्र-अनुभव या अन्वेषण के अनुभव की अपेक्षा सेवा की किसी श्रेणी में दो वर्ष की होगी। | केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/<br>संघ राज्यक्षेत्रों/ पब्लिक सेक्टर<br>उपक्रमों/ अर्धसरकारी/ कानूनी/<br>स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे<br>अधिकारी ,-<br>(क)(i) जो मूल काडर/ विभाग<br>में नियमित आधार पर सदृश पद<br>धारण किए हुए हैं ; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर/<br>विभाग में 16400-20000रू के<br>या समतुल्य वेतनमान में<br>नियमित आधार पर उसमें<br>नियमित को हो ; और<br>(iii) जिन्होंने मूल काडर/<br>विभाग में 14300-18300रू के<br>या समतुल्य वेतनमान में<br>नियमित आधार पर उसमें<br>नियमित को बाद उस श्रेणी में<br>तीन वर्ष सेवा की हो ; और<br>(ख) जिसके पास अनुसूची-2 के<br>भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक<br>अर्हताएं और अनुभव हो । |
| 2.          | कनिष्ठ<br>प्रशासनिक<br>श्रेणी  | प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो<br>सकने पर प्रतिनियुक्ति<br>द्वारा (जिसके अंतर्गत<br>अल्पकालिक संविदा भी<br>है) | उपनिदेशक (इंजीनियरी)/<br>कार्यपालक इंजीनियर/<br>सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत<br>बोर्ड/ सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय<br>विद्युत बोर्ड/ पर्ट विशेषज्ञ/<br>ज्येष्ठ डाटा विशेषज्ञ/  | केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/<br>संघ राज्यक्षेत्रों/ पब्लिक सेक्टर<br>उपक्रमों/ अर्धसरकारी/ कानूनी/<br>स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे<br>अधिकारी,-<br>(क)(i) जो मूल काडर/ विभाग  |

| 5.  | कनिष्ठ          | (i) 50% पद प्रोन्नति  | सहायक निदेशक  | केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/  |
|-----|-----------------|---|---|--|
|     |                 |   |   | (ख) जिसके पास अनुसूची-2 के<br>भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक<br>अर्हताएं और अनुमव हो । |
|     |                 |   |   | नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में<br>पांच वर्ष सेवा की हो ; और                               |
|     |                 |   |   | या समतुल्य वेतनमान में<br>नियमित आधार पर उसमें   |
|     |                 |   | -   | (ii) जिन्होंने मूल काडर/<br>विभाग में 8000-13500रू के                                    |
|     |                 |   | नियमित सेवा की हो ।   | में नियमित आधार पर सदृश पद<br>धारण किए हुए हैं ; या                                      |
|     |                 | है)   | डाटा विशेषज्ञ/ सहायक<br>सिस्टम इंजीनियर जिन्होंने<br>सेवा में श्रेणी में चार वर्ष | स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे<br>अधिकारी ,-<br>(क)(i) जो मूल काडर/ विभाग                   |
|     | वेतनमान         | सकने पर प्रतिनियुक्ति<br>द्वारा (जिसके अंतर्गत<br>अल्पकालिक संविदा भी | (इंजीनियरी)(श्रेणी-1)/ सहायक<br>कार्यपालक इंजीनियर/ कनिष्ट                        | संघ राज्यक्षेत्रों/ पब्लिक सेक्ट<br>उपक्रमों/ अर्धसरकारी/ कानुनी,                        |
| 4.  | ज्येष्ठ काल     | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो   | सहायक निदेशक  | केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार   |
|     |                 |   | 15200रु.) जिन्होंने सेवा की<br>श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा<br>की हो ।        | 5  |
|     |                 |   | सिस्टम इंजीनियर (10000-   | -  |
|     |                 |   | ज्येष्ठ डाटा विशेषज्ञ/<br>उपनिदेशक (संपादक)/उप                                    |  |
|     | कृत्यकारी)      | THE REAL PROPERTY.  | बोर्ड/ सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय<br>विद्युत बोर्ड/ पर्ट विशेषज्ञ/                |  |
|     | वेतनमान<br>(गैर | ज्येष्ठता के आधार पर<br>स्थानन द्वारा                                 |   | -  |
| 3.  | ज्येष्ठ काल     | उपयुक्तता पर आधारित   | उपनिदेशक (इंजीनियरी)/   | अर्हताएं और अनुभव हो ।   |
|     |                 |   |   | (ख) जिसके पास अनुसूची-2 र<br>भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिय                            |
|     |                 |   |   | यांच वर्ष सेवा की हो ; और  |
| .57 |                 | -:  | गैरकृत्यकारी श्रेणी में नी वर्ष<br>नियमित सेवा की हो ।                            | नियुक्ति के बाद उस श्रेणी  |
|     |                 |   | 12000-16500 रु. के वेतनमान<br>में ज्येष्ठ काल वेतनमान की                          | विभाग में 12000-16500क<br>या समतुल्य वेतनमान   |
|     |                 |   | सिस्टम इंजीनियर (1000p-<br>15200रु.) जिन्होंने सेवा के                            | (ii) जिन्होंने मल काड  |

| काल<br>वेतनमान |  | विद्युत इंजीनियरी (समूह ख)<br>सेवा में सहायक इंजीनियर,<br>जिसने श्रेणी में दो वर्ष<br>नियमित सेवा की हो और<br>जिसके पास किसी<br>मान्यताप्राप्त संस्था से<br>इंजीनियरी में डिप्लोमा या | उपक्रमों/ अर्धसरकारी/ कानूनी/<br>स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे<br>अधिकारी,-<br>(क)(i) जो मूल काडर/ विभाग |
|----------------|--|---|--|
|----------------|--|---|--|

टिप्पण 1 : ज्येष्ठ प्रशासिनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासिनिक श्रेणी, ज्येष्ठ काल वेतनमान की श्रेणियों में उपरोक्त स्तंभ (3) में विहित भर्ती की पद्धित के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने की दशा में, पद इन नियमों के नियम 8 के अधीन विज्ञापन द्वार और आयोग के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे।

टिप्पण 2 : किसी भी अधिकारी को अधिकार के रूप में प्रोन्नति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। टिप्पण 4 : क्रम संख्या 1 और 2 पर वर्णित कर्त्तव्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और क्रम संख्या 4 और 5 पर वर्णित कर्त्तव्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भाग - ख

सेवा में विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और अनुभव ।

| क्रम<br>सं. | श्रेणी                         | अर्हता  | अपेक्षित व्यवहारिक अनुभव  | अनुभव की अवधि   |
|-------------|--------------------------------|---|---|---|
| (1)         | (2)                            | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1.          | कनिष्ठ<br>काल<br>वेतनमान       | अभ्यर्थी के पास किसी<br>मान्यताप्राप्त<br>विश्वविद्यालय, संस्था से<br>विद्युत/यांत्रिक/दूर संचार/<br>इलेक्ट्रानिक में इंजीनियरी<br>की डिग्री या समतुल्य | (क) जल विद्युत पावर परियोजनाओं या तापीय विद्युत परियोजनाओं की प्लानिंग या डिजाइन और इंजीनियरी या संनिर्माण या प्रचालन या अनुरक्षण या (ख) पारेषण लाइनों और 66 के वी और उससे ऊपर के उपकेन्द्रों की प्लानिंग या डिजाइन और इंजीनियरी या संनिर्माण या प्रचालन या अनुरक्षण या (ग) विद्युत योजना और प्रचालनात्मक समस्याओं का विश्लेषण और मोडलिंग और उसके लिए कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास या विद्युत विकास के अन्य क्षेत्रों और समेकित विद्युत प्रणालियों और नियंत्रण के लिए बंद लाइन और चालू लाइन कंप्यूटर सुविधा हेतु कार्यक्रमों का लाइन | स्तंभ (4) में<br>यथाविनिर्दिष्ट तीन<br>वर्ष का अनुभव    |
| 2.          | ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान         | यथोक्त  | यथोक्त  | स्तंभ (4) में<br>यथाविनिर्दिष्ट पांच<br>वर्ष का अनुभव   |
| 3.          | कनिष्ठ<br>प्रशासनिक<br>श्रेणी  | यथोक्त  | यथोक्त  | स्तंभ (4) में<br>यथाविनिर्दिष्ट बारह<br>वर्ष का अनुभव   |
| 4.          | ज्येष्ठ<br>प्रशासनिक<br>श्रेणी | यथोक्त  | यथोक्त  | स्तंभ (4) में<br>यथाविनिर्दिष्ट पंद्रह<br>वर्ष का अनुभव |

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए आवेदन करने वाले भावी अभ्यर्थियों द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित सुसंगत क्षेत्र/ व्यवहारिक अनुभव भर्ती के समय वर्णित किया जाएगा जो पद की विनिर्दिष्ट भर्ती पर निर्भर करेगा ।

## अनुसूची 3

[ नियम 7(3)(क) और 7(3)(ख) देखिए]

भाग क : केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा में सम्मिलित समूह 'क' पदों पर प्रोन्नित और पुष्टि के मामलों में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना ।

| क्रम<br>सं. | कर्त्तव्य पद<br>का नाम         | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति<br>(प्रोन्नित पर विचार करने के लिए)   | सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों की पुष्टि<br>हेतु विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय<br>प्रोन्नति समिति   |
|-------------|--------------------------------|--|--|
| 1.          | ज्येष्ट<br>प्रशासनिक<br>श्रेणी | (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा<br>आयोग :- अध्यक्ष<br>(ii) सचिव या/और विशेष सचिव/ अपर<br>सचिव, विद्युत मंत्रालय :- सदस्य<br>(iii) अध्यक्ष या/और सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- सदस्य  | (i) सचिव या/और विशेष सचिव/ अपर सचिव,<br>विद्युत मंत्रालय :- अध्यक्ष<br>(ii) अध्यक्ष या/और सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- सदस्य   |
| 2.          | कनिष्ठ<br>प्रशासनिक<br>श्रेणी  | (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा<br>आयोग :- अध्यक्ष<br>(ii) विशेष सचिव/ अपर सचिव, विद्युत<br>मंत्रालय :- सदस्य<br>(iii) अध्यक्ष या/और सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- सदस्य<br>(iv) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो<br>सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट<br>किया जाएगा :- सदस्य | (i) विशेष सचिव/ अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय<br>:- अध्यक्ष<br>(ii) अध्यक्ष या/और सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- सदस्य<br>(iii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो<br>सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया<br>जाएगा :- सदस्य           |
| 3.          | ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान         | (i) अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- अध्यक्ष<br>(ii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो<br>सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट<br>किया जाएगा :- सदस्य<br>(iii) निदेशक (प्रशा.)/ उप सचिव (प्रशा.),<br>विद्युत मंत्रालय :- सदस्य   | (i) अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- अध्यक्ष<br>(ii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो<br>सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया<br>जाएगा :- सदस्य<br>(iii) निदेशक (प्रशा.)/ उप सचिव (प्रशा.),<br>विद्युत मंत्रालय :- सदस्य |
| 4.          | कनिष्ठ काल<br>वेतनमान          | (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग :- अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष या/और सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण :- सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :- सदस्य (iv) निदेशक (प्रशा.)/ उप सचिव (प्रशा.), विद्युत मंत्रालय :- सदस्य            | (i) अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय विद्युत<br>प्राधिकरण :- अध्यक्ष<br>(ii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो<br>सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया<br>जाएगा :- सदस्य<br>(iii) निदेशक (प्रशा.)/ उप सचिव (प्रशा.)<br>विद्युत मंत्रालय :- सदस्य  |

टिप्पण 1 : पुष्टि, के लिए विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नित समिति (समूह 'क') का ज्येष्ठतम स्तर का अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा ।

1276 61/05-4

टिप्पण 2 : आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसकी बैठकों में उपस्थित हुए हों।

भाग ख : केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान (गैरकृत्यकारी) में पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन पर विचार करने हेतु चयन समिति की संरचना ।

| क्रम<br>सं. | खेणी                                     | चयन समिति की संरचना   |
|-------------|--|---|
| 1.          | ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान<br>(गैरकृत्यकारी) | <ul> <li>(i) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण :- अध्यक्ष</li> <li>(ii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, जो सचिव, विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया<br/>जाएगा :- सदस्य</li> <li>(iii) सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण :- सदस्य</li> </ul> |

टिप्पण : चयन समिति के अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसकी बैठकों में उपस्थित हुए हों।

अनुसूची 4 [ नियम 7(3)(ग) देखिए]

| खेणी                                       | पद का नाम   | वे परिस्थितियां जिनमें पद भरने के लिए<br>संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श<br>आवश्यक होगा   |
|--|---|--|
| (1)  | (2)   | (3)  |
| ज्येष्ट प्रशासनिक<br>श्रेणी                | मुख्य इंजीनियर/ सदस्य सचिव (क्षेत्रीय विद्युत<br>बोर्ड)/ सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड  | किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके<br>अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर<br>नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा<br>आयोग से परामर्श आवश्यक है। |
| कनिष्ठ<br>प्रशासनिक श्रेणी                 | निदेशक (इंजीनियरी)/ अधीक्षण इंजीनियर/ सिस्टम<br>इंजीनियर  | किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके<br>अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर<br>नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा<br>आयोग से परामर्श आवश्यक है। |
| ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान ,<br>(गैरकृत्यकारी) | उपनिदेशक (इंजीनियरी)/ कार्यपालक इंजीनियर/<br>सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/ सचिव,<br>पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/ पर्ट विश्लेषक/ ज्येष्ठ<br>डाटा विश्लेषक/ उपनिदेशक (संपादक)/ उप<br>सिस्टम इंजीनियर (गैरकृत्यकारी) | पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग<br>से परामर्श आवश्यक नहीं है ।  |
| ज्येष्ठ काल<br>वेतनमान                     | उपनिदेशक (इंजीनियरी)/ कार्यपालक इंजीनियर/<br>सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/ सचिव,<br>पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/ पर्ट विश्लेषक/ ज्येष्ठ<br>डाटा विश्लेषक/ उपनिदेशक (संपादक)/ उप<br>सिस्टम इंजीनियर                | किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके<br>अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर<br>नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा<br>आयोग से परामर्श आवश्यक है। |
| कनिष्ठ काल<br>वेतनमान                      | 01 (100 100 1   |  |

[फा. सं. ए-12018/4/97-प्रशा. 1] आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

# MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2005

- G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1990, except as respect things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules, namely:—
- Short title and commencement (1) These rules may be called the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definitions In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Authority" means the Central Electricity Authority and includes all its subordinate offices,
  - (b) "Commission" means the Union Public Service Commission,
  - (c) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Power;
  - (d) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted under these rules to consider the promotion and confirmation in any grade
  - (e) "duty post" means any post included in Schedule I;
  - (f) "examination" means the Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission for recruitment to various duty posts as may be specified by the Commission from time to time;
  - (g) "Government" means the Government of India;
  - (h) "grade" means a grade of the Service;
  - (i) "regular service", in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to the specified procedure for long term appointments to that grade and includes any period or periods-

- taken into account for purposes of seniority in case of those appointed at the initial constitution of the Service;
- during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;
- (j) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (k) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
- "Other Backward Classes" shall be as determined as per the provisions contained in clause (3) of the article 15 of the Constitution;
- (m) "Service" means the Central Power Engineering (Group A) Service constituted under rule 3:
- 3. Constitution of the Central Power Engineering (Group A) Service, (1) On and from the commencement of these rules, there shall be constituted a Service known as the Central Power Engineering (Group A) Service consisting of persons appointed to the Service under rules 6,7 and 8.
- (2) All the duty posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.
- 4. Grades, strength and its review, (1) The duty posts included in the various grades, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may;-
  - (a) from time to time make temporary additions or alterations to the strength of the duty posts in various grades;
  - (b) in consultation with the Commission, include in the Service any duty post other than those included in Schedule I or exclude from the Service a duty post included in the said Schedule;
  - (c) in consultation with the Commission, appoint an officer in a duty post included in the Service under clause (b) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, and fix his seniority in the

grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

- Members of the Service, (1) The following persons shall be the members of the Service:
  - (a) persons appointed to duty posts under rule 6;
  - (b) persons appointed to duty posts, under rule 7; and
  - (c) persons appointed to duty posts under rule 8.
- (2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.
- (3) A person appointed under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1), shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I, from the date of such appointment.
- Initial Constitution of Service, (1) All existing officers holding (Group A)
  duty posts on regular basis, in the Central Power Engineering (Group A) Service on
  the date of commencement of these rules, shall be members of the Service in the
  respective grades.
- (2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the Service.
- (3) To the extent, the Controlling Authority is not able to fill the authorized regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule; the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 7 and 8.
- 7. Future maintenance of the Service, (1) The vacant duty posts in any of the grades referred to in Schedule I, after the initial constitution under Rule 6, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

1276 61/05-5

(2) The method of recruitment, the field of promotion and the field of selection for deputation (including short-term contract) for appointment to duty posts included in the Service shall be as specified in Schedule II:

Provided that recruitment to duty posts included in the Service may also be made by occasional induction of other qualified persons appointed by the Government in consultation with the Commission in accordance with the provisions of Rule 8.

(3) The selection of officers for promotion to the various functional grades of the Service shall be made by **selection** on the recommendations of the Departmental Promotion Committee in accordance with Part A of Schedule III and the provisions in Schedule IV.

Provided that the appointment to duty posts in the Senior Time Scale (Non-Functional) of the Service shall be made according to seniority based on suitability on the recommendations of the Selection Committee constituted in accordance with Part B of Schedule III.

- (4) Union Public Service Commission shall be consulted in case of amendment any of provision in these Service Rules. The circumstances of consultation with UPSC for filling posts shall be in accordance with Schedule IV.
- 8. Recruitment by advertisement, Notwithstanding the method of recruitment prescribed in Schedule-II, where the Government in consultation with the Commission decides that any duty post in the Service, requiring certain special qualifications and experience is required to be filled, such post shall be filled by advertisement and selection through the Commission after deciding the age-limit, qualifications and experience for appointment in consultation with the Commission on each occasion.
- 9. Seniority, (1) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade at the time of initial constitution under rule 6 shall be as obtaining on the date of the commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

- (2) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.
- (3) In the cases not covered by sub-rules (1) and (2), seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.
- 10. **Probation,** (1) Every officer appointed to the grade of Junior Time Scale of the Service, either by direct recruitment or by promotion, shall be on probation for a period of two years. Every officer appointed to the grade of Senior Time Scale. Junior Administrative Grade and Senior Administrative Grade of the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing, within the said period.

- (2) On the completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall be considered for confirmation in terms of the extant orders of the Government.
- (3) If, during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that the officer is not fit for confirmation, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

- (4) During the period of probation or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, on such conditions as may be prescribed by the Government.
- (5) As regards other matters relating to probation, the matters of the Service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.
- Posting, Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
- 12. **Deputation,** (1) Notwithstanding anything contained in rule 11, officers appointed to the Service or duty posts borne on the cadre of the Service shall be liable to be sent on deputation or on absorption to any other Government Department or to any other Central Service or to a Union Territory or on foreign service to a body whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, subject to the Government instructions/orders in force from time to time ordinarily for a period not exceeding three years at a time, which may be extended, where considered necessary, up to a further period of two years:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply to such officers as are appointed to the Service on deputation from any State Government or any Central or State Government Undertakings or any Semi-Government Department.

(2) The conditions of service of officers during the period they are on deputation or on foreign service from the Authority under these rules shall be governed by such orders as may be issued by the Government from time to time:

Provided that the conditions of service applicable to such officers immediately before deputation or on foreign service, shall not be varied to their disadvantage during the period they are on deputation or on foreign service.

Saving, - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age
 limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the

Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time, in this regard.

14. Liability to serve Defence Services or posts connected with Defence, Every person appointed to the Service, if so required, be liable to serve in any
Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less
than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person -

- (a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the Service;
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.
- 15. Disqualifications, No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 16. Residuary matters, The conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of other Central Civil Service (Group A).
- 17. Power to relax, Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

1276611 6

 Interpretation, - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government.

#### SCHEDULE I

[See rules 2(e), 4(1), 4(2)(b), 5(2), 5(3) and 7(1) )]

Name, number and scale of pay of duty posts included in the various grades of the Central Power Engineering (Group A) Service.

| SI.<br>No. | Grade                                     | Name of the duty posts<br>included in the grade  | Number of<br>duty posts | Scale of pay        |
|------------|---|--|-------------------------|---------------------|
| (1)        | (2)                                       | (3)  | (4)                     | (5)                 |
| 1.         | Senior<br>Administrative<br>Grade         | Chief Engineer/ Member Secretary (Regional Electricity Board)/ Secretary, Central Electricity Board  | 32                      | Rs. 18400-500-22400 |
| 2,         | Junior<br>Administrative<br>Grade         | Director (Engineering)/<br>Superintending Engineer/<br>System Engineer   | 100                     | Rs.14300-400-18300  |
| 3.         | Senior Time<br>Scale (Non-<br>functional) | Deputy Director (Engineering)/ Executive Engineer/ Assistant Secretary, Regional Electricity Board/ Secretary, North Eastern Regional Electricity Board/ Pert Analyst / Senior Data Analyst/ Deputy Director (Editor)/ Deputy System Engineer (Non-functional) | @                       | Rs.12000-375-16500  |
| 4.         | Senior Time.<br>Scale                     | Deputy Director (Engineering)/ Executive Engineer/ Assistant Secretary, Regional Electricity Board/ Secretary, North Eastern Regional Electricity Board Pert Analyst / Senior Data Analyst/ Deputy Director (Editor)   | 211                     | Rs.10000-325-15200  |
| 5.         | Junior Time<br>Scale                      | Deputy System Engineer Assistant Director. (Engineering) (Grade-I)/ Assistant Executive Engineer/ Junior Data Analyst/ Assistant System Engineer   | 158                     | Rs.8000-275-13500   |


- Note 1: The posts included in a particular grade in this Schedule are interchangeable with one another.
- Note 2: Number of posts indicated against Serial No.5 includes 120 (one hundred twenty) posts kept as deputation/leave/training reserve posts.
- @ The number of posts in Senior Time Scale (Non-Functional) shall be thirty per cent of the senior duty posts, i.e. at the level of Senior Time Scale and above in the cadre) limited to the number of posts in the Senior Time Scale. However, there shall be no increase in the overall strength of the cadre.

### SCHEDULE II ( See rule 7(2) and 8 ) PART - A

Method of Recruitment, field of promotion and the field of selection for deputation (including short term contract) for appointment to the duty posts included in the Central Power Engineering (Group A) Service.

| SI.<br>No | Grade                             | Method of<br>recruitment  | Field of promotion  | Field of selection for<br>deputation (including short<br>term contract)   |
|-----------|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)       | (2)                               | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1.        | Senior<br>Administrative<br>Grade | By Promotion<br>failing which by<br>deputation<br>(including short-<br>term contract) | Director (Engineering)/   | Officers under the Central Government/ State Government/ Union territories/ Public Sector Undertakings/ Semi-Government/ Statutory/ Autonomous organizations:  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in   |
|           |                                   |   | f vided that for the members of the Service appointed to the Service prior to 21st August, 1990 (i.e. the date of notification of the now superseded Central Power Engineering (Group-A) Service Rules, 1990), the requirement of field experience or experience of investigation shall be two years in any grade of the Service. | the parent cadre/department; or  (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in scale of pay of Rs.16400-20000 or equivalent in the parent cadre/department; or  (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.14300-18300 or equivalent in the parent cadre/department; and  (b) possessing educational |
|           |                                   |   |   | qualifications and experience as specified in Part – B of Schedule II.  |
| 2.        | Junior<br>Administrative<br>Grade | By Promotion<br>failing which by<br>deputation<br>(including short<br>term contract)  |   | Officers under the Central Government/ State Government/ Union territories/ Public Sector Undertakings/ Semi-Government/ Statutory/ Autonomous organizations:  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or  (ii) with five years' service in the grade rendered after  |

| 2                            |  | service in the grade including regular service, if any rendered in the Non-Functional grade of the Senior Time Scale in the pay scale of Rs.12000-16500 of the Service. | regular basis in posts in the scale of pay of Rs.12000-  |
|------------------------------|--|---|--|
| 3. Senior<br>Scale<br>Functi | (Non- the basis  | of (Engineering)/   |  |
| 4. Senior<br>Scale           | Time By Promotic failing which is deputation (including shot term contract)                              | y (Engineering)<br>(Grade-I)/   | Officers under the Central Government/ State Government/ Union territories/ Public Sector Undertakings/ Semi-Government/ Statutory/ Autonomous organizations:  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or |
|                              |  |   | (ii)with five years' service in<br>the grade rendered after<br>appointment thereto on<br>regular basis in posts in the<br>scale of pay of Rs.8000-<br>13500 or equivalent in the<br>parent cadre/department;<br>and                                |
|                              | *  |   | (b) possessing educational qualifications and experience as specified in Part – B of Schedule II.  |
| 5. Junior<br>Scale           | Time (i) 50% of pos<br>by promotic<br>failing which i<br>deputation<br>(including sho<br>term contract). | on (Engineering) (Grade-<br>by II)/Assistant Engineer in<br>the Central Power<br>art- Engineering (Group B)   | Officers under the Central Government/ State Government/ Union territories/ Public Sector Undertakings/ Semi-Government/ Statutory/ Autonomous organizations:  |



- Note 1: In the event of suitable officer being not available for appointment to the Grades of Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade, Senior Time Scale, in accordance with the method of recruitment, prescribed under Column 3 above, the posts may be filled by recruitment by advertisement and selection through the Commission under rule 8 of these rules.
- Note 2: No officer shall have claim for promotions as of right.
- Note 3: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
- Note 4: The period of deputation to the duty posts mentioned at serial numbers 1 and 2 shall not be more than five years and to the duty posts mentioned at serial numbers 4 and 5 shall not ordinarily exceed three years.

PART - B

Minimum Educational Qualification and experience required for appointment to the various grades of the Service by deputation (including short term contract)

| SI.<br>No | Grade           | Qualification   | Practical experience required  | Period of<br>experience                       |
|-----------|-----------------|---|--|---|
| (1)       | (2)             | (3)   | (4)  | (5)   |
| 1.        | Junior<br>Scale | Fime A candidate shall<br>possess a degree<br>in Engineering in | <ul> <li>(a) Planning or design and<br/>Engineering or construction<br/>or operation or maintenance</li> </ul> | Three years<br>experience as in<br>column (4) |

| (1) | (2)                                   |       | (3)   | (4)  | (5)   |
|-----|---------------------------------------|-------|---|--|---|
| 231 |                                       |       | Electrical/Mechan ical/Telecommuni cation/Electronics from a recognized University/Instituti on or equivalent | of Hydro Electric Power Projects or Thermal Power projects Or  (b) Planning or design and Engineering or construction or operation or maintenance or transmission lines and sub stations of 66 KV and above Or   |   |
|     |                                       |       |   | (c) Analysis and modelling of power planning and operational problems and development of computer software for the same or planning of programmes for the off line and on line computer facility for integrated power systems and control and other fields of power development. |   |
| 2.  | Senior<br>Scale                       | Time  | -do-  | -do-   | Five years<br>experience as in<br>column (4)    |
| 3.  | Junior<br>Administra                  | ative | -do-  | -do-   | Twelve years<br>experience as in<br>column (4)  |
| 4.  | Grade<br>Senior<br>Administr<br>Grade | ative | -do-  | -do-   | Fifteen years<br>experience as in<br>column (4) |

Note:

The relevant field/practical experience required to be possessed by prospective candidates applying for deputation (including short-term contract) will be mentioned at the time of recruitment depending upon the specific requirement of the post.

# SCHEDULE III

[See rule 7(3)(a) and 7(3)(b)]

Part A: Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Central Power Engineering (Group A) Service.

| SI.<br>No | Name of the duty post             | Group 'A' Departmental Promotion<br>Committee (for considering promotion)   | Group 'A' Departmental Promotion<br>Committee for considering<br>confirmation of officers appointed<br>by direct recruitment                                 |  |
|-----------|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)       | (2)                               | (3)   | (4)  |  |
| 1.        | Senior<br>Administrative<br>Grade | (i) Châirman or Member, Union Public<br>Service Commission : Chairman     (ii) Secretary or/and Special<br>Secretary/ Additional Secretary in<br>the Ministry of Power : Member     (iii) Chairman or/and Member, Central<br>Electricity Authority : Member | Secretary or/and Special Secretary/Additional Secretary in the Ministry of Power: Chairman     Chairman or/and Member, Central Electricity Authority: Member |  |

| Comment of the last | 医 3(i)]                           | (3)   | (4)  |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|
| 2.                  | Junior<br>Administrative<br>Grade | (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission: Chairman (ii) Special Secretary /Additional Secretary in the Ministry of Power: Member (iii) Chairman or/and Member, Central Electricity Authority: Member (iv) Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power: Member               | Special Secretary/Additional Secretary in the Ministry of Power: Chairman     Chairman or/and Member, Central Electricity Authority: Member     Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power: Member         |
| 3.                  | Senior Time<br>Scale              | (i) Chairman or Member, Central Electricity Authority: Chairman     (ii) Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power: Member     (iii)Director(Adm.) / Deputy Secretary(Adm.) in the Ministry of Power: Member   | (ii) Chairman or Member, Central Electricity Authority : Chairman (iii) Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power : Member (iii) Director(Adm.)/ Deputy Secretary(Adm.) in the Ministry of Power : Member |
| 4.                  | Junior Time<br>Scale              | (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission: Chairman     (ii) Chairman or/and Member, Central Electricity Authority: Member     (iii) Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power: Member     (iv) Director(Adm.)/Deputy     Secretary(Adm.) in the Ministry of Power: Member | Chairman or Member, Central Electricity Authority: Chairman     Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power Member     Director(Adm.) / Deputy Secretary(Adm.) in the Ministry of Power: Member             |

- Note 1: For considering confirmation, the senior-most level officer of the Departmental Promotion Committee (Group A) would be the Chairman of the Committee.
- Note 2: The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

Part B: Composition of Selection Committee for considering selection of officers for appointment to posts in Senior Time Scale (Non-Functional) in the Central Power Engineering (Group A) Service.

| SI.<br>Na. | Grade                                     | Composition of Selection Committee   |
|------------|---|--|
| (1)        | (2)                                       | (3)  |
| 1,         | Senior Time<br>Scale (Non-<br>Functional) | (i) Chairman, Central Electricity Authority: Chairman     (ii) Joint Secretary, Ministry of Power to be nominated by Secretary, Ministry of Power     Member |
|            |   | (iii)Secretary, Central Electricity Authority : Member   |

Note: The absence of a Member other than the Chairman of the Selection Committee shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meeting.

## SCHEDULE IV [ See Rule 7(3)(c) ]

| Grade                                  | Name of Post  | Circumstances of<br>consultation with UPSC<br>for filling posts   |
|--|---|---|
| (1)                                    | (2)   | (3)   |
| Senior Administrative<br>Grade         | Chief Engineer/<br>Member Secretary<br>(Regional Electricity Board)/<br>Secretary, Central Electricity Board  | Consultation with UPSC necessary for appointing an officer on deputation (including short-term contract)          |
| Junior Administrative<br>Grade         | Director (Engineering)/<br>Superintending Engineer/<br>System Engineer  | Consultation with UPSC necessary for appointing<br>an officer on deputation<br>(including short-term<br>contract) |
| Senior Time Scale (Non-<br>functional) | Deputy Director (Engineering)/ Executive Engineer/ Assistant Secretary, Regional Electricity Board/ Secretary, North Eastern Regional Electricity Board/  | Consultation with UPSC not necessary for filling the post.  |
| Senior Time Scale                      | Pert Analyst / Senior Data Analyst/ Deputy Director (Editor)/ Deputy System Engineer (Non-functional) Deputy Director (Engineering)/ Executive Engineer/ Assistant Secretary, Regional Electricity Board/ Secretary, North Eastern Regional Electricity Board | Consultation with UPSC necessary for appointing an officer on deputation (including short-term contract)          |
| Junior Time Scale                      | Pert Analyst / Senior Data Analyst/ Deputy Director (Editor) Deputy System Engineer Assistant Director (Engineering) (Grade-I)/ Assistant Executive Engineer/ Junior Data Analyst/ Assistant System Engineer  | Consultation with UPSC necessary for filling the post on each occasion.   |

[F. No. A-12018/4/97-Adm. 1] R. C. ARORA, Under Secy.